

बरेली जनपद का वर्तमान भूमि-उपयोग: एक भौगोलिक विवेचन

डॉ० शिव कुमार सिंह
एसो० प्रोफेसर, भूगोल
राजेन्द्र प्रसाद पी०जी० कॉलेज,
मीरगंज (बरेली)

सार—

आज हम जब प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का दंभ भरते हैं और उसके अनुरूप विकास का आगाज कर भूपटल पर सांस्कृतिक दृश्य भूमि का सृजन कर आगे बढ़ने का सतत् प्रयास जारी रखे हुए हैं परिणाम स्वरूप धरातल पर भूमि-उपयोग के प्रतिरूप में विविधता आना स्वाभाविक ही है। यद्यपि प्रकृति भी उक्त उपयोग के स्वरूप को नियंत्रित एवम् निर्धारित करने में अहम् भूमिका निभाती है तथापि मानवीय अभिव्यंजना के अनुरूप प्रौद्योगिकीय विकास ने भी आदि काल से वर्तमान तक विकास के विभिन्न चरणों को पार कर बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने में अप्रत्याशित योगदान दिया है किन्तु प्रश्न यह उठता है कि यह आवश्यकता को कब तक पूरा किया जा सकता है ? क्योंकि यह तथ्य कि “विकास और प्रतिरोध एक दूसरे के पूरक हैं” की अवधारण से मानव के आस्तित्व पर कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। यही कारण है कि आज इसके परिणाम समय-समय पर देखने को मिल जाते हैं।

मानव द्वारा रचित सांस्कृतिक दृश्य-भूमि का भूमि-उपयोग महत्वपूर्ण घटक है जो क्षेत्र विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक एवम् मानवीय संसाधनों द्वारा नियंत्रित व निर्धारित होता है। जनपद बरेली भी उक्त से अछूता नहीं रहा है। वर्तमान में जनपद की अनुमानित जनसंख्या 45.55 लाख आंकी गयी है और औसत जनघनत्व 1105। चूंकि जनपद गंगा मैदान का अंश होने के कारण अनुकूल प्राकृतिक दशाओं और उपजाऊ मिट्टी व पर्याप्त जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहां की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में संलग्न होने के कारण विगत कुछ दशकों के भूमि-उपयोग पर दृष्टिपात किया जाय तो सर्वाधिक परिवर्तन सकल बोया क्षेत्र में परिलक्षित हो रहा है, जो इस कारक का द्योतक है कि जनपद की वास्तविक कृषीय जनसंख्या उपलब्ध कृषि जोत से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने में सतत् प्रयत्नशील है।

मुख्य शब्द— परिचय, धरातलीय आकृति, भूमि वर्गीकरण, शुद्ध बोया क्षेत्र।

परिचय— बरेली जनपद के भौगोलिक विस्तार पर दृष्टिपात किया जाय तो 28°19' से 58°54' उत्तरी अक्षांश तथा 78°58' से 79°47' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। बरेली जनपद के उत्तर में नैनीताल, उत्तर पूर्व में शाहजहाँपुर, दक्षिण में बदायूँ तथा पश्चिम में रामपुर जनपद स्थित हैं। जनपद दक्षिणी सीमा रामगंगा नदी द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्धारित होती है। जनपद की उत्तर से दक्षिण लम्बाई 150 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 90 कि०मी० है।

जनपद के उच्चावच पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि तहसील बहेड़ी के सीमावर्ती गाँव पचपेड़ा की धरातलीय ऊँचाई सबसे अधिक 658.7 फीट तथा सबसे नीचा तहसील फरीदपुर में चटिया चरनपुर गाँव 530.3 फीट है। अतः जनपद का ढाल उत्तर से दक्षिण है। जनपद बरेली प्रदेश के 1.39 प्रतिशत भाग पर विस्तृत है तथा पूर्वी रुहेलखण्ड मण्डल में 23.52 प्रतिशत क्षेत्र को घेरे हुये है। इस भू-भाग के क्षेत्रफल और सीमाओं में रामगंगा नदी की बाढ़ के कारण आंशिक परिवर्तन होता रहता है। जनपद का आकार उत्तर पश्चिम में अधिक चौड़ा तथा दक्षिण पूर्व में कम चौड़ा है

धरातलीय आकृति:— क्षेत्र विशेष का धरातलीय स्वरूप वहां के विकास के स्वरूप को निर्धारित करता है। इसका प्रमुख कारण है कि धरातलीय स्वरूप स्थानीय भौगोलिक वातावरण निर्माण में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह करता है और यही कारण है कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विभिन्न धरातलीय स्वरूप विकास की दर को अधिकतम एवं न्यूनतम करते हैं। जहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या का 80 प्रतिशत कृषि पर आधारित है। वहाँ इसके महत्व में और भी वृद्धि हो जाती है क्योंकि कृषि क्षेत्र धरातलीय स्वरूप से प्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं। अतः यह सर्वमान्य सत्य है कि किसी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप एवं स्थानीय विकास प्रतिरूप में ठीक वही अन्तर्सम्बन्ध है जो एक पोषे एवं उसकी पत्तियों में होता है अर्थात् जिन क्षेत्रों में धरातलीय स्वरूप अनुकूल दशाएँ उत्पन्न करता है वहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक विकास पाया जाता है और जिन क्षेत्रों में प्रतिकूल दशाएँ होती हैं, विकास भी अपेक्षाकृत कम होता है।

बरेली जनपद धरातलीय दृष्टिकोण से अधिकांशतः समतल एवं मैदानी क्षेत्र है। यह क्षेत्र हिमालय से मध्य भारत तक विस्तृत गंगा के वृहद् मैदान का ही एक भाग है जो सामान्यतः जलोढ़ मिट्टियों के निक्षेपण से होने पर भी अपने प्राकृतिक प्रवाह-तन्त्र के मार्ग तथा विशेषताओं के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रीय विषमतायें प्रस्तुत करता है परिणाम स्वरूप क्षेत्र में भूमि-उपयोग के प्रतिरूप पर प्रभाव पड़ता है।

भूमि उपयोग से तात्पर्य किसी क्षेत्र के कुल भौगोलिक या प्रतिवेदित क्षेत्रफल का विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने से होता है। भूमि उपयोग का भौगोलिक अध्ययन विशेषतः कृषि भूगोल के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। किन्तु वर्तमान में मुख्य रूप से बरेली जनपद के अन्तर्गत भूमि-उपयोग पद्धति का सही एवं सन्तुलित विभाजन नहीं है। इसका प्रमुख कारण विभिन्न क्षेत्रों में भूमि उपयोग को भिन्न-भिन्न कारक प्रभावित कर रहे हैं। प्रमुख कारक निम्न हैं जो कृषि भूमि उपयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित कर रहे हैं।

(अ)भौतिक कारक:—जिसमें मुख्य रूप से जलवायु, धरातलीय स्वरूप, मिट्टी के प्रकार एवं उर्वरता, वर्षा इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

(ब) मानवीय कारक :—इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से जनसंख्या संसाधन जनित पहलू हैं जो कृषक समाज एवं तकनीकी ज्ञान का स्तर तथा इनसे उत्पन्न सांस्कृतिक दृश्य-भूमि को उकेरते हैं।

उपरोक्त कारकों का भूमि-उपयोग परिवर्तन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। सर्वाधिक मानवीय कारकों का भूमि-उपयोग परिवर्तन में महत्वपूर्ण स्थान है। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है इसके साथ भारत में जनाधिक्य भी है। भारत में जनसंख्या का लगभग सत्तर प्रतिशत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अतः कहा जा सकता है कि यहाँ का गरीब किसान ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक संरक्षक है।

वैसे तो भूमि-उपयोग प्रतिरूप को प्राकृतिक सम्पदा से अलग नहीं किया सकता है क्योंकि सामान्य भूमि-उपयोग में जिसका विभिन्न माध्यम जैसे— वन, कृषि, उद्योग यातायात एवं अधिवास आदि में महत्वपूर्ण स्थान है। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या द्वारा भूमि-उपयोग कृषि कार्यों में अत्यधिक होता है।

बरेली जनपद में भी ग्रामीण जनसंख्या पूर्णरूपेण कृषि पर आधारित है। लेकिन वर्तमान में भी जनपद में भूमि का उपयोग उचित ढंग से नहीं हो रहा है। इसका प्रमुख कारण सम्बन्धित क्षेत्र के जन समूहों में पर्याप्त तकनीकी एवं भूमि उपयोग सम्बन्धी जानकारी का उचित प्रचार प्रसार का न होना है। इसके साथ ही कुछ भूमि उपयोग में परिवर्तन मानवीय आवश्यकताओं एवं धन अभाव भी कारक है। अतः यह आवश्यक है कि सम्बन्धित क्षेत्र की जनसंख्या तक भूमि उपयोग सम्बन्धी, ऊसर भूमि सुधार सम्बन्धी इत्यादि जानकारी का उचित ढंग से प्रसार एवं प्रचार कर भूमि को कृषि योग्य बनाकर उसका समुचित उपयोग अपेक्षित है।

बरेली जनपद में प्रायः कृषकों के पास भूमि सुधार को प्रभावित करने वाले साधन पर्याप्त नहीं है। अतः कृषि की सुदृढ़ता, कृषि के विभिन्न प्रतिरूप में पर्याप्त दोषों का पाया जाना, भूमि उर्वरता की जांच, मिट्टी संरक्षण, कृषि मूल्य पद्धति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था, विद्युतीकरण, जल वितरण आदि कारणों से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक:—सामान्यतः सहयोग के दो तथ्यों के कारण भूमि उपयोग स्थिर है। प्रथम भौतिक जिसके अन्तर्गत धरातलीय बनावट, जलवायु, मिट्टी एवं वनस्पतियों जो कि भूमि की प्रायोगिक क्षमताओं को सीमित करते हैं और दूसरा उत्पादन का प्रतिरूप जो कि अर्थशास्त्री और संख्यात्मक दोनों पहलुओं को संयुक्त करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भूमि-उपयोग सामान्य प्रतिरूप पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि भूमि के भिन्न-भिन्न क्षेत्र पर भूमि उपयोग की भिन्नताएँ स्पष्ट होती है। इसका प्रमुख कारण भौतिक जिसमें भू-आकृति, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, अपवाह तन्त्र एवं एवं मिट्टी के प्रकार और उर्वरता आदि सम्मिलित है। मानवीय जिसमें भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रतिरूप एवं मानवीय अभिव्यंजना जो कि परम्परागत एवं नवीनतम् तकनीकी दोनों पर आधारित हो सकता है, आदि को सम्मिलित किया गया है।

भूमि का वर्गीकरण:—भूमि के उचित उपयोग के लिए मानवीय आवश्यकताओं को आधार मानकर भूमि वर्गीकरण करना अत्यन्त आवश्यक है । अतः भूमि वर्गीकरण स्वयं में एक अन्त न होकर भूमि-उपयोग के विकास का एक बेहतर साधन है । इस व्यवस्था में वर्गों की विशेषताओं और उद्यमिता की सीमा स्थिर करने के संदर्भ में भूमि वर्गीकरण आवश्यक है । अतः हम कह सकते हैं कि भूमि वर्गीकरण भूमि उपयोग की वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत भूमि की कुछ सामान्य विशेषताएं जो मानव की आवश्यकताओं को स्पष्टतया और प्रभावपूर्ण ढंग से पूर्ण करने में सक्षम होती है अर्थात् भूमि के पुर्ननिर्माण के अन्तर्गत विशाल भूमि उपयोग की तुलना में जंगली प्रदेश और चराई प्रदेश के मध्य अच्छा सम्बन्ध है । किन्तु जंगली क्षेत्रों में कृषि एवं जल स्रोतों का अन्तर्सम्बन्ध अत्यन्त दयनीय है । अतः इसे अपवर्त्य भूमि उपयोग के अन्तर्गत रख सकते हैं ।

अन्य भूमि वर्गीकरण के अनुसार तुलनात्मक रूप से भूमि उपयोग एवं उसका वर्गीकरण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है । उत्पादन सूची, प्रबन्ध की भौतिक व्यवस्था के अन्तर्गत उगायी जाने वाली फसलों का उत्पादन एवं उत्तमता, पूर्व काल में बनायी गयी सूची के अनुसार, पहले भूमि का वर्गीकरण क्षेत्र चरागाह मैदान, फलोद्यानों, वन प्रदेश और कृषि की दृष्टि से योग्य क्षेत्रों में होता था । किन्तु वी0आर0सिंह ने मिर्जापुर के भूमि-उपयोग को मिट्टी की विशेषता के अनुसार उसे निम्न भागों में विभाजित किया है यथा— कृषि उत्पादन भूमि अथवा अविकसित भूमि, विकास के योग्य किन्तु व्यर्थ पड़ी भूमि, क्षेत्रीय भूमि ।

कृषि भूमि—उपयोग के सामान्य प्रतिरूप पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि कृषि की दृष्टि से अयोग्य क्षेत्रों में भवन निर्माण सड़कों व रेलमार्गों का निर्माण, कार्यशाला में, कारखाने, बाँध एवं जलाशय, नालों एवं जल विस्तारणों का पर्याप्त विकास हुआ है । जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति और सिंचाई सम्बन्धी विकास है । भूमि उपयोग की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए सांख्यिकी के सह-विधान पर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने भूमि उपयोग को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप विभाजित किया है । जिसने भूमि उपयोग के आँकड़ों को सरकारी स्तर पर बारह भागों में विभाजित किया है—

1. भूमि उपयोग के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र ।
2. वन के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र ।
3. बंजर एवं कृषि के अयोग्य भूमि ।
4. अकृषित का में प्रयुक्त भूमि ।
5. कृष्य बेकार भूमि ।
6. स्थायी एवं अन्य चरागाह ।
7. विभिन्न उद्यानों व वृक्षों का क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता ।
8. वर्तमान परती ।
9. अन्य परती ।
10. शुद्ध कृषि क्षेत्र ।
11. एक से अधिक बार बोया क्षेत्र ।
12. कुल बोया क्षेत्र ।

किन्तु उपरोक्त विभाजन को ही सुविधा की दृष्टि से इन श्रेणियों को कम करके भूमि-उपयोग के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र को निम्न संवर्गों के अन्तर्गत रखा जा सकता है ।

1. वन भूमि ।
2. कृषि योग्य बंजर भूमि ।
3. परती भूमि ।
4. ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि ।
5. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि ।
6. उद्यानों के अन्तर्गत भूमि ।
7. चरागाहों के अन्तर्गत भूमि ।
8. शुद्ध बोया गया क्षेत्र ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में सूच्य है कि जन-संसाधन भूमि-उपयोग परिवर्तन में अहम् भूमिका निभाते हैं क्योंकि जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं यथा-आवास, औद्योगिकरण, प्रशासन भवन, परिवहन सुविधाओं, शिक्षा एवं मनोरंजन इत्यादि को पूर्ण करने में भूमि-उपयोग के स्वरूप व प्रतिरूप में परिवर्तन आना नितान्त आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। जनपद बरेली में भूमि-उपयोग के सामान्य प्रतिरूप के अन्तर्गत उपरोक्त विभाजन में वितरण प्रारूप निम्नवत् है -

वनों के अन्तर्गत जनपद बरेली में वर्ष 1980 के अन्तर्गत 411 हेक्टेयर भूमि पर वन के अन्तर्गत आच्छादित थी, जो कि वर्ष 2000 में मात्र 226 हेक्टेयर भूमि ही रह गयी था। किन्तु वर्ष 2010 में पुनः बढ़ कर 352 हेक्टेयर भूमि और अद्यतन भी 2020 में भी 352 हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र से आच्छादित है।

वर्ष 1980 की तुलना में 2020 में वन क्षेत्र में कमी दर्ज हुई है इसका प्रमुख कारण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अन्य क्रियाओं और आवश्यकताओं में भू-भाग का प्रयोग होना है। अतः वर्ष 2020 में सबसे अधिक 182 हेक्टेयर अर्थात् कुल ग्रामीण प्रतिवेदित क्षेत्र का .045 प्रतिशत और विकास खण्ड के प्रतिवेदित क्षेत्र का .54 प्रतिशत फरीदपुर विकास क्षेत्र में प्रयोग हुआ साथ ही सबसे कम एक हेक्टेयर भूमि का प्रयोग विकास क्षेत्र शेरगढ़, मझगवां, भदपुरा में हुआ। जनपद के विभिन्न विकास क्षेत्रों में वनों के क्षेत्र में वनों के क्षेत्र शून्य हैं। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र में 61 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित है।

सारणी-1.1

बरेली जनपद में विगत दशकों सामान्य भूमि-उपयोग प्रतिरूप(1980-2020)

क्रम सं०	भूमि-उपयोग का प्रकार	वर्ष (प्रति दशक)				
		1980	1990	2000	2010	2020
1	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	407490	407540	407490	406915	406915
2	वन	411	313	226	352	352
3	कृष्य बेकार भूमि	3973	3840	2108	1651	1747
4	परती भूमि	14799	15786	11161	16849	31746
5	ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	12441	12228	10710	6266	7537
6	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में प्रयुक्त भूमि	39792	44799	50107	52461	63447
7	चरागाह	416	406	801	340	284
8	उद्यान/वृक्ष एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल	861	3130	2339	2747	3764
9	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	322600	327038	330037	326249	298038

स्रोत- जिला सांख्यकीय पत्रिकाएं जनपद बरेली।

कृष्य बेकार भूमि - ऐसे वर्गीकरण के अन्तर्गत उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जो कि कुछ प्रयासों के उपरान्त कृषि योग्य हो जाती है। जनपद में वर्ष 1980 के अन्तर्गत 3973 हेक्टेयर भूमि जो कि कुल प्रतिवेदित का .97 प्रतिशत थी और अद्यतन तक इसमें घटस हो रहा है वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार 1747 हेक्टेयर भूमि जो कि कुल प्रतिवेदित का .42 प्रतिशत रह गयी। जनपद में सबसे अधिक कृषि बेकार भूमि रामनगर में 270 हेक्टेयर तथा सबसे कम 24 हेक्टेयर भूमि शेरगढ़ विकासखण्ड में है। जनपद के सभी विकासखण्ड क्षेत्रों में कृषि बेकार भूमि में निरन्तर कमी हो रही है।

परती भूमि-परती भूमि के अन्तर्गत पुरानी और नवीन दोनों को सम्मिलित किय गया है। सामान्यतः इस प्रकार की भूमि में वर्षभर कोई फसल नहीं उगायी जाती है किन्तु पुरानी परती भूमि पर लगभग दो से पांच वर्ष तक कोई फसल नहीं की जाती है। वर्तमान में इस प्रकार की भूमि नगण्य ही है।

वर्ष 1980 में कुल 14799 हेक्टेयर भूमि थी जो वर्ष 2020 में बढ़ कर वर्तमान परती 16631 और अन्य परती 15115 हेक्टेयर हो गयी है। वर्तमान सबसे अधिक परती भूमि फरीदपुर, भुता, बहेड़ी, आलमपुर-जाफराबाद विकासखण्डों में है। सबसे कम मझगवां में 156 हेक्टेयर भूमि परती है। जनपद की प्राकृतिक दशाओं पर दृष्टिपात किया जाय तो परती भूमि में महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रकट होता है।

ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि—यह भूमि उपयोग का यह क्षेत्र है जिसमें कि कृषि की संभावनाएँ नहीं होती है। जनपद बरेली में भी उपरोक्त प्रकार की भूमि का विभिन्न क्षेत्रों में असमान वितरण पाया जाता है। यद्यपि वर्ष 1980 में जनपद के अन्तर्गत 12441 हेक्टेयर भूमि थी जो वर्ष 2020 में घटकर 7537 हेक्टेयर ही रह गयी है। सबसे अधिक 1265 हेक्टेयर भूमि क्यारा तथा सबसे कम 105 हेक्टेयर भूमि बहेड़ी विकासखण्ड में है। वर्तमान में जनपद के विभिन्न विकासखण्डों में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाये जाने के फलस्वरूप उक्त प्रकार की भूमि में कमी हुई है।



कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि—इस प्रकार के भूमि वर्गीकरण के अन्तर्गत भूमि उपयोग का वह भू-क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जिसके अन्तर्गत मानवीय आवश्यकताओं जैसे –आवास, सड़क, रेलवे, कार्यशाला उद्योग के अन्तर्गत बांध आदि को सम्मिलित करते हैं। उक्त मानवीय आवश्यकताएँ इस प्रकार के भूमि वर्गीकरण को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं और यही कारण है कि जनपद में वर्ष 1980 की अपेक्षा वर्ष 2020 में 23655 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि हुई है। उक्त प्रकार के भू-क्षेत्र की वृद्धि में जनसंख्या वृद्धि महत्वपूर्ण कारक है।

उद्यान/वृक्षों के अन्तर्गत :- इस प्रकार के भूमि वर्गीकरण में मुख्यतः वे क्षेत्र सम्मिलित किये जाते हैं जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के उद्यानों एवं बगीचों में भूमि उपयोग किया है। यद्यपि वर्ष 1981 की अपेक्षा वर्ष 1990 में उद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तथापि क्षेत्रीय वितरण असमान ही रहा है। वर्ष 2020 में सबसे अधिक 461 हेक्टेयर भूमि भुता और सबसे कम भूमि 96 हेक्टेयर भूमि बहेड़ी विकासखण्ड में है। सारणी-1.1 से स्पष्ट है कि जनपद में वर्ष-1980 से 2020 तक उद्यानों के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि हुई है।

चरागाह—भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप से जनपद में चरागाह क्षेत्र में कमी हुई है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में दो प्रकार के चरागाह अस्थायी अस्थायी हैं जिनमें से स्थायी चरागाहों की नगण्य ही है अर्थात् विभिन्न क्षेत्रों में छिटपुट रूप में देखने को मिलते हैं। किन्तु अस्थायी चरागाहों के क्षेत्र में भी कमी हो रही है। वर्ष-1980 में 416 हेक्टेयर भूमि चरागाहों में प्रयुक्त की जा रही थी जो वर्तमान में मात्र 284 हेक्टेयर ही रह गई है। जनपद के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का 06 प्रतिशत भाग ही इसके अन्तर्गत है जिनमें से सबसे अधिक 41 हेक्टेयर फतेहगंज-पश्चिमी तथा रिच्छा और भुता विकासखण्ड को छोड़कर सभी जनपदीय विकासखण्डों में नगण्य ही है।

शुद्ध बोया गया क्षेत्र—इस भूमि उपयोग का सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के अन्तर्गत किया जाता है। यही कारण है कि बरेली जनपद में वर्तमान में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का 73.24 प्रतिशत अर्थात्(298038 हेक्टेयर भू-भाग पर कृषि कार्य सम्पन्न होता है जो कि उत्तर प्रदेश के लगभग 56.32 प्रतिशत से अधिक है। जनपद में कृषि क्षेत्र के विस्तार में भौतिक एवं मानवीय दोनों कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है।

बरेली जनपद में कृषि क्षेत्र का अन्तर्क्षेत्रीय वितरण असमान है। कृषि क्षेत्र का प्रतिशत विशेषतः बहेड़ी, मझगवां, भुता, नबाबगंज में अधिक है तो दूसरी ओर सबसे कम क्यारा विकासक्षेत्र के अन्तर्गत है। जिन विकास क्षेत्रों में अधिक प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है, उन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में कृषि कार्य में कृषि उत्पादन भी अधिक होता है। परिणामस्वरूप अधिक भाग पर कृषि कार्य सम्भव होता है।


सारणी-1.2

बरेली जनपद में कृषि भूमि-उपयोग(फसल अनुसार)

क्रम सं०	कृषि भूमि-उपयोग	वर्ष (प्रति दशक)					
		1980	1990	2000	2010	2020	
1	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	322600	327038	330037	326249	298038	
2	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	150125	161258	196957	216710	278293	
3	सकल बोया क्षेत्रफल	कुल	494639	488296	526994	542959	576331
		रबी	213445	221061	227587	246084	251675
		खरीफ	260529	244180	233775	270229	295700
		जायद	14025	16360	22048	22847	16734
4	गन्ने के लिये तैयार की गई भूमि	48079	6695	3584	3885	2222	
5	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	190656	220185	251790	311710	263719	
6	सकल सिंचित क्षेत्रफल	489712	379954	480693	501570	537455	

स्रोत— जिला सांख्यकीय पत्रिकाएं जनपद बरेली।

बरेली जनपद में शुद्ध बोया क्षेत्र—1980 से 2020



कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र—2020

एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल 48%



जनपद के सम्पूर्ण भूमि-उपयोग पर दृष्टिपात किया जाये तो विगत दशकों में जनपद के भूमि-उपयोग प्रतिरूप एवं स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। जनपद के अधिकांशतः अत्यन्त आवश्यक भूमि के क्षेत्र में विकास हुआ है, उसका कारण जनपद के अधिकतम् कृषकों का अशिक्षित व तकनीकी एवं पर्याप्त ज्ञान से अनभिज्ञ होना है। यद्यपि बढ़ती हुई जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि उपयोग के अन्तर्गत



शुद्ध बोये गये क्षेत्र, वनों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं चरागाहों के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हुई है इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से जनपद की बंजर भूमि में .06 प्रतिशत का ह्रास हुआ है। तथापि उर्वरको एवं फसल-चक्र, कृषि से सम्बन्धित नवीनतम जानकारियों के अभाव के कारण परती भूमि क्षेत्र एवं ऊसर भूमि क्षेत्र में क्रमशः 2.84 प्रतिशत, .05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से सकल सिंचित क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हो रही है। अतः यह सर्वमान्य सत्य है कि भूमि के उचित उपयोग हेतु अधिकांश कृषकों को सम्बन्धित एवं नवीनतम जानकारियों से अवगत कराया जाये जिससे आगामी वर्षों में बोये गये क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

संदर्भ—

- स्टैप, एल.डी. : एप्लाई ज्योग्राफी
- सिन्डे एस.डी. : एग्रीकल्चर इज एन उत्तर डवलपड रीजन "ए ज्योग्राफिकल सर्वे" हिमालयन पब्लिकेशन हाऊस बम्बई
- सिंह, आर.एल. : एप्लाईड ज्योग्राफी(एन.जी.एस.आई) वाराणसी, 1986
- मण्डल. आर. बी. : द लैण्ड यूटीलाइजेशन: थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस, नई दिल्ली
- नाथ बी. : लैण्ड यूटीलाइजेशन इन इण्डिया: जरनल आफ सोसल एण्ड वाटर कंजरवेशन इन इण्डिया, वाल्यू. 1 नं० 2.
- रनर आर. आर. : लैण्ड इकनामिक्स, न्यूयॉर्क, 1947
- नेशनल रिसोर्स प्लानिंग बोर्ड : यू.एस.ए. लैण्ड क्लासिफिकेशन इन इनाइट स्टेट्स 1941
- सिंह, जसबीर : एन एग्रीकल्चरल एट्लस आफ इण्डिया ए ज्योग्राफिकल एनालिसिस कुरुक्षेत्र, 1974.
- सफी. एम. : एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एण्ड रीजनल इम्बैलेन्स नई दिल्ली, 1984.
- सिंह, वी. आर. : लैण्ड यूज पैटर्न इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट एण्ड एन्वार्थन्स, बी.एच.यू.बनारस 1970.
- शर्मा राजेन्द्र कुमार : "भू-उपयोग प्रणाली और भारतीय कृषि" विकास प्रकाशन 2008
- सिंह भरत : "भू-उपयोग प्रणाली: स्थायित्व और उत्पादन" ग्रामोदय प्रकाशन, 2014
- भारद्वाज अशोक कुमार : "भारतीय भू-उपयोग प्रणाली" संदीप प्रकाशन, 2016

14. मुकेश कुमार : “भू-उपयोग नीति और योजना: भारतीय परिदृश्य”
आदित्य प्रकाशन, 2019
15. जिला योजना पत्रिकाएं।
16. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर।
17. जिला सांख्यकीय पत्रिकाएं।
18. स्थानीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं।

